



## Meticulous Investigation & Prosecution

### BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में हत्या करने के आरोपी नितिन व अमित उर्फ मोनू को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुई आजीवन कारावास व 17,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा -

अवगत कराना है कि अभियुक्तों नितिन पुत्र भोपाल निवासी करबा टिकरी थाना दोघट जनपद बागपत व अमित उर्फ मोनू पुत्र कुंवरपाल निवासी रोहटा थाना रोहटा जनपद मेरठ द्वारा वर्ष-2016 में वादिया के पति की गोली मारकर हत्या करने की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 254/2016 धारा 452/302/504/120बी/34 भादवि पंजीकृत हुआ था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 22.04.2026 को मा0 न्यायालय जिला जज जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों नितिन व अमित उर्फ मोनू को दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 17,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री राहुल नेहरा डीजीसी बागपत



है0का0 धर्मन्द्र कुमार थाना दोघट

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice



## Meticulous Investigation & Prosecution

### BAGHPAT POLICE



“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में चोरी का माल बरामद होने पर आरोपी 1-यश व 2-मोहित उर्फ बम को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर प्रत्येक को हुआ 02 वर्ष 02 माह 13 दिन का कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2022 में अभियुक्तों 1-यश पुत्र प्रदीप निवासी वाल्मीकी बस्ती पटेल मार्ग थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद व 2-मोहित उर्फ बम पुत्र संजय निवासी जटवाडा पुराना बस स्टैंड के पास थाना सिहानी गेट जनपद गाजियाबाद के कब्जे से चोरी की मोटसाइकिल बरामद होने के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 504/2022 धारा 411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 22.04.2026 को मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद बागपत द्वारा दोषी पाये जाने पर अभियुक्तों 1-यश व 2-मोहित उर्फ बम प्रत्येक को 02 वर्ष 02 माह 13 दिन का कारावास व 500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री अभिराम गौतम APO  
जनपद बागपत



का0 आदित्य कुमार  
कोर्ट पैरोकार

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



@baghpatpolice



baghpatpolice



Baghpat Police



# Meticulous Investigation & Prosecution



## BAGHPAT POLICE

“ऑपरेशन कन्विकशन” के क्रम में चोरी की घटना कारित करने वाले आरोपी जहीर को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 01 वर्ष 09 माह 14 दिन का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि वर्ष 2024 में अभियुक्त जहीर पुत्र वहीद निवासी ग्राम डौला थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा मोटसाइकिल चोरी करने की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 580/2024 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 22.04.2026 को मा0 न्यायालय सीजेएम कोर्ट जनपद बागपत द्वारा दोषी पाये जाने पर अभियुक्त जहीर को 01 वर्ष 09 माह 14 दिन का कारावास व 1000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा “ऑपरेशन कन्विकशन” अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।



श्री अभिराम गौतम APO  
जनपद बागपत



का0 आदित्य कुमार  
कोर्ट पैरोकार

@baghpatpolice

baghpatpolice



Baghpat Police





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 22.04.2026

**थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद ।**

### कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### महत्वपूर्ण सूचना---बागपत पुलिस द्वारा

सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति

अवैध अस्लाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाईसेन्सी अस्लाह का प्रदर्शन न किया जाये यदि कोई ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सोनू पुत्र नरेश निवासी ग्राम बिजरौल थाना बडौत जनपद बागपत उम्र 28 वर्ष

### बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोरक मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत।
2. है0का0 735 संदीप कुमार थाना बडौत।



3. है0का0 678 योगेन्द्र कुमार थाना बडौत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 22.04.2026

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 260/26 धारा 96/115(2)/351/352 बी.एन.एस व 5एम/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 260/26 धारा 96/115(2)/351/352 बी.एन.एस व 5एम/6 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1. सागर पुत्र हरमिन्द्र निवासी मोल्हू पट्टी बावली थाना बडौत जनपद बागपत उम्र करीब 28 वर्ष।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री मौ0 आसिफ अली थाना बडौत, बागपत

2-है0का0 750 सुनील कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 22.03.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 59/26 धारा  
115(2)/352/351(3)/131/191(2)/191(3)/109(1)/3(5) बीएनएस में वांछित 01  
अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त एक दराती बरामद

।

### संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 16.04.2026 को थाना रमाला पर आवेदक श्री रामवीर सिंह पुत्र कालूराम निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.सुरेन्द्र पुत्र सुरत सिंह, 2.मनोज पुत्र सुरेन्द्र, 3.सुनील पुत्र सतपाल, 4.आशीष पुत्र सुनील, 5.अनिल पुत्र सतपाल निवासीगण ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत के द्वारा वादी एवं उसके परिवारजनो के साथ लाठी डण्डो, दराती आदि से मारपीट करना व गाली गलौच करना, जान से मारने की धमकी देते हुए हमला करना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 59/26 धारा 115(2)/352/351(3)/131/191(2)/191(3) बीएनएस उपरोक्त पंजीकृत किया गया ।



नोट:- दौराने विवेचनात्मक कार्यवाही साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 109(1)/3(5) बीएनएस की बढोत्तरी की गई ।

### कार्यवाही –

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 59/26 धारा 115(2)/352/351(3)/131/191(2)/191(3)/109(1)/3(5)

बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त एक दराती बरामद की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता।

आशीष पुत्र सुनील उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम बरवाला थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त आशीष का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 110/2025 धारा 4/25 आयुध अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत

2-मु0अ0सं0 173/25 धारा 115(2), 326(e), 351(3), 352 बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत

3-मु0अ0सं0 0295/2025 धारा 326(e), 352 बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत

4-मु0अ0सं0 59/26 धारा 115(2)/352/351(3)/131/191(2)/191(3)/109(1)/3(5) बीएनएस

बरामदगी का विवरण –

- घटना में प्रयुक्त की एक दराती

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-उ0नि0 श्री पुष्पराज विश्वोई थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-का0 478 अजीत कुन्तल थाना रमाला जनपद बागपत ।

